

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या- 56/2019

- 1- शिवजीराम पुत्र परसाराम
- 2- महिपाल पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

- 1- परसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर।
- 2- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित अधिवक्तागण:-

- 1 श्री अम्बालाल पाराशर वादी सं. 01 व 02 की और से।
- 2 श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी सं. 01 की और से।



—: निर्णय :-

दिनांक 19.07.2019

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि मौजा डिडिया कलां के खेत खसरा नम्बर 774 रकबा 10.03 बीघा, खेत ख.नं. 283 रकबा 12.03 बीघा, कुल खेताय 2 जिनका कुल रकबा 22.06 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:-

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

- 1- वादी सं. 01 शिवजीराम के हक बंट में मौजा डिडिया कलां के खेत खसरा नम्बर 774 रकबा 10.03 बीघा सम्पूर्ण खेत रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- 2- वादी सं. 02 महिपाल के हक बंट में मौजा डिडिया कलां के खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण खेत रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- 3- प्रतिवादी सं. 01 परसाराम वादी सं. 01 शिवजीराम के साथ रहने से उसके द्वारा भरण पोषण करने के कारण प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से में कोई बंट नहीं रखा गया है।



जुज कलक्टर
नागौर। नागौर। नागौर।


-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड सहायक न्यायाधीश
(एच. टी. डी.) जायल (नागोष्)


(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल
सहायक कलेक्टर
(एच. टी. डी.) जायल (नागोष्)